कार्यभार नई प्रबन्धकारिणी समिति को हस्तानान्तरित करना अनिवार्य होगा। बैंक खाते को चालू रखने हेतु नवनियुक्त महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर को पुर्व महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा एक माह के अन्तर्गत ही प्रमाणित करना भी अपरिहार्य होगा।.

कार्यभार के अन्तरण को नई प्रबन्धकारिणी समिति एवं पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा साधारण सभा में अन्तरण के एक माह के अन्तर्गत अनुमोदित कराया जाना होगा।."

प्रस्ताव 7.

नियमावली के प्रस्तर 8 में "रिक्त स्थानों की पूर्ति" शीर्षक में प्राविधानित व्यवस्था को निम्न प्रकार संशोधित किया जाय

" प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा में उपस्थित तथा मत में भाग ले रहे सदस्यों के साधारण बहुमत से शेषकाल के लिए की जाएगी।"

प्रस्ताव 8.

नियमावली के प्रस्तर 10 " संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया" शीर्षक में प्राविधानित व्यवस्था को निम्न प्रकार संशोधित किया जाय.

"संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा में उपस्थित तथा मत में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 के बहुमत से करना।."

प्रस्ताव 9.

नियमावली के प्रस्तर 14 " संस्था के अभिलेष" शीर्षक में उपप्रस्तर (5) एवं (6) बढ़ाया जाना.

(5) पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियाँ

(6) रजिस्टर एवं पत्रावली रजिस्टर (Register of Registers and files)

संस्था के नियमावली में पारित संशोधन

संशोधन संख्या - 1:

नियमावली के प्रस्तर '4' संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग' शीर्षक में प्रावधानित समस्त व्यवस्था को समाप्त कर निम्न व्यवस्था को प्रति-स्थापित किया गया.

4(अ) "अब समिति में केवल आजीवन सदस्य होंगे। आज की तिथि के बाद कोई निवासी मात्र रु 200/- शुल्क देकर समिति का आजीवन सदस्य बन सकता है। इससे पूर्व जिन सदस्यों ने अब तक रु 200/- अथवा उससे अधिक धन किसी रूप में समिति को दिया है वे सभी निवासी समिति के आजीवन सदस्य माने जायेंगे। जिन सदस्यों ने रु 200/- से कम धन दिया है वे शेष राशि का भुगतान कर आजीवन सदस्य बन सकते हैं परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा रु 200/- से अधिक किया हुआ भुगतान वापस नहीं किया जावेगा।

(समिति की 5 मार्च 2000 एवं 10 जून 2000 की साधारण सभाओं में पारित संशोधन)

संशोधन संख्या - 2.

नियमावली के प्रस्तर 11 "संस्था का कोष" शीर्षक के नीचे निम्न परिशिष्ट अन्तः स्थापित किया गया -

"प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के धन को किसी भी सावधि योजना में जमा राशि को आम सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव के बिना नहीं निकाल सकती है। परन्तु प्रबन्धकारिणी समिति सावधि जमा योजना में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर व्यय कर सकती है।"

(समिति की दिनांक 23 सितम्बर 2001 को साधारण सभा द्वारा पारित संशोधन)

Substituted = प्रतिस्थापित
Inserted = अन्तः स्थापित
OMITTED = लोप किया गया

संशोधन प्रस्ताव 1.

'स्मृति पत्र' के प्रस्तर 2 एवं 'नियमावली' के प्रस्तर 3 "संस्था का पता" शीर्षक के समक्ष प्राविधानित व्यवस्था को ~~.~~ विलोपित कर निम्न व्यवस्था प्रति-स्थापित की जाय -

"सेक्टर 'एन' आशियाना कानपुर रोड लखनऊ में स्थित समिति के मन्त्री का निवास"

प्रस्ताव 2.

Substituted प्रतिस्थापित
Inserted अन्तः स्थापित
OMIT - लोप किया जाय

नियमावली के प्रस्तर 4 "संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग" शीर्षक के में निम्न परिशिष्ट अन्तः स्थापित किया जाय

"4 (ब) सदस्य की मृत्यु होने पर सदस्य का वैध उत्तराधिकारी स्वतः समिति का सदस्य बन जावेगा।"

प्रस्ताव 3

नियमावली के प्रस्तर 5 "सदस्यता की समाप्ति" शीर्षक के उपप्रस्तर (6) को (OMITTED)) लोपित किया जाय।

प्रस्ताव 4.

नियमावली के प्रस्तर 7 के "बैठकें" शीर्षक को निम्न प्रकार संशोधित किया जाय

"साधारण सभा की सामान्य बैठक कम से कम एक व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

प्रस्ताव 5

नियमावली के प्रस्तर 7 ~~के~~ "साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य" शीर्षक के उपप्रस्तर (4) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाय

" संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा में उपस्थित तथा मतमें भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 के बहुमत से करना"

प्रस्ताव 6.

नियमावली के प्रस्तर 8 "गठन' शीर्षक के नीचे तथा 'बैठकें' शीर्षक के ऊपर निम्न परिशिष्ट अन्तः स्थापित किए जाये।

निर्वाचन

प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के पद निर्वाचन द्वारा ही भरे जावेगें। निर्वाचन का कार्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जावेगा। निर्वाचन अधिकारी का चुनाव साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जावेगा। निर्वाचन प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी नियम व विनिमय साधारण सभा द्वारा निर्धारित किए जावेगें। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी नियम व विनिमय के साथ समिति के समस्त सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन तिथि के 15 दिन पूर्व देगा। पदों हेतु नामांकन-पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जावेगें। प्राप्त नामांकन के आधार पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की निर्धारित तिथि को निर्वाचन करावेगा।
समिति के सदस्य अपना मत गुप्त मतदान द्वारा देगें। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों को स्वः हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा जो सर्वथा मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

अर्हतायें

(i) संरक्षक के पद को छोड़कर अन्य पदों हेतु समिति के सदस्य ही अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष तथा संगठन मंत्री के पदों पर केवल वे ही सदस्य नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं जो सेक्टर 'एन' आशियाना में निर्वाचन तिथि के पूर्व पिछले तीन वर्षों से अनवरत निवास कर रहे हों।

संरक्षक — संरक्षक का समिति का सदस्य होना अपरिहार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो समाजसेवी हो, या समाज में लब्ध-प्रतिष्ठ हो, या सम्मानित हो, या जनसेवक हो अथवा उच्चपदासीन अधिकारी हो संरक्षक के पद पर निर्वाचित/चयनित किया जा सकता है।

संरक्षक का निर्वाचन/चयन समिति के साधारण सभा के साधारण बहुमत से किया जावेगा।

कार्यभार का अंतरण

नई प्रबन्धकारिणी के निर्वाचन के एक माह के अन्तर्गत पुरानी प्रबन्धकारिणी द्वारा ...